

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक नागी पिंगुवा, पति-मंगल सिंह पिंगुवा, ग्राम-गितिलपी, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं०-580, खाता नं०-71, प्लॉट नं०-516, कुल रकवा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता संदीप कुमार सिंक्ु, पिता-रंजीत सिंक्ु, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण वाद सं०-477/2018-19 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1071, दिनांक-22.10.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता-संदीप कुमार सिंक्ु, पिता- रंजीत सिंक्ु, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुज्ञा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के फ़ात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुज्ञा के आलोक में आवेदक नागी पिंगुवा, पति-मंगल सिंह पिंगुवा, ग्राम-गितिलपी, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा क्रेता संदीप कुमार सिंक्ु, पिता-रंजीत सिंक्ु, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास जमीन को कुल 2,39,750.00/- (दो लाख उनचालीस हजार सात सौ पचास) रुपये में मौजा- गितिलपी, थाना नं०-580, खाता नं०-71, प्लॉट नं०-516, कुल रकवा- 0.05 एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।